न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 06/2016

अपीलान्ट :-

1 माधोसिंह पुत्र हरदेवराम
जाति-बावरी,निवासी-टूंकड़ा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस् :-

1 राज्य सरकार जरिये
भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

2 प्रबन्धक, अल्ट्रा ट्रेक सीमेन्ट
लि0 कम्पनी, मुम्बई

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ग्राम पंचायत-टूंकड़ा के नामान्तरकरण संख्या 368 दिनांक (खाली) जो भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण द्वारा पारित किया को निरस्त करवाने बाबत्

तारीख रजू:.08/08/2016

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र गुर्रा, अधिवक्ता, अपीलान्ट।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टान्

-:: निर्णयः- **दिनॉकः 16/10/2017**

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का- टूंकड़ा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खसरा नम्बर 216 रकबा 20-00 बीघा भूमि अपीलान्ट को निजी वन विकास हेतु एवं निजी वन विकास आवंटन नियमन के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमान् उपजिला परिषद महोदय, जैतारण के आदेश दिनांक 13/01/1987 को एलोटमेन्ट की गई। वक्त एलोटमेन्ट आवंटित भूमि का कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द किया था तथा अपीलान्ट ने आवंटित भूमि पर सैंकड़ो पौधे लगाये जो आज भी मौके पर स्थित हैं तथा मौके पर अपीलान्ट ने ऋण लेकर बड़ा पानी का होद निर्मित करवाया, जो आज भी मौके पर पौधो की सिंचाई हेतु उपयोग लिया जाता हैं। अपीलान्ट के आवंटन आदेश दिनांक 13/01/1987 जारी होने के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 347 के जरिये विधिवत् आदेश की पालना में अपीलान्ट के नाम राजस्व जमाबन्दी में बतौर गैरखातेदार दिनांक 04/08/1998 को नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात् अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 368 के जरिये अपीलान्ट की आवंटिन भूमि को पुनः सिवायचक भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही तहसीलदार, जैतारण द्वारा पारित की गई। उक्त नामान्तरकरण आदेश व नामान्तरकरण की कार्यवाही से अपीलान्ट पूर्ण रूप से व्यथित हैं। अपीलान्ट को उसकी निजी वन विकास के अन्तर्गत आवंटित भूमि का सिवायचक में दर्ज करने की जानकारी माह फरवरी 2013 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में हल्का पटवारी से राजस्व जमाबन्दी की नकल की मांग किये जाने पर हल्का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पटवारी द्वारा यह वगत करवाया गया कि उसका आवंटित भूमि पुनः सिवायचक अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये दर्ज कर दी गई। अपीलान्ट उक्त नामान्तरकरण संख्या 368 से पूर्ण रूप से व्यथित एवं प्रभावित हैं, जिसके विरूद्ध यह अपील तत्काल प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि व विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट को खसरा नम्बर 216 रकबा 20-00 बीघा का वन विकास हेतु भूमि आवंटन की जाने के पश्चात् एवं आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 347 पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण पारित किये जाने के पश्चात् अपीलान्ट के आवंटन आदेश का निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई न ही ऐसी कार्यवाही में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया, न ही अपीलान्ट को सुनवाई हेतु तलब किया गया। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण द्वारा अपीलान्ट के आवंटन को दिनांक 15/03/1990 के आधार पर निरस्त किये जाने का जो आदेश अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 368 में दर्ज किया गया, जो विधि व विधि के सिद्धान्तो के प्रतिकुल एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया। जबकि न्याय का सिद्धान्त हैं कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध कोई प्रशासनिक आदेश हो या न्यायिक आदेश हो ऐसे पक्षकार को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ही न्यायसंगत आदेश पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन अपीलान्ट को किसी भी न्यायालय द्वारा एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 368 मय पारित आदेश पारित किया एवं अपीलान्ट के आवंटन को निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट का ग्राम-टूंकड़ा के खसरा नम्बर 216 रकबा 20-00 बीघा भूमि पर वन विकास हेतु आवंटित आदेश उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा दिनांक 13/01/1987 को पारित किये जाने के पश्चात् लाखों रूपये लगाकर उक्त भूमि पर बबुल, खेजडी के पौधे को वृक्षारोपण किया गया तथा उक्त भूमि को समतल किया गया तथा अपीलान्ट ने उक्त पौधो की सिंचाई हेतु पानी के टांके का निर्माण किया गया तथा अपनी आमदनी के लाखों रूपये लगाकर व ऋण लेकर उक्त भूमि को उपजाउ बनाया। जिसके प्रमाण आज भी मौके पर मौजूद हैं तथा अपीलान्ट आज भी करीब डेढ लाख रूपये से निर्मित पानी के टांके के निर्माण से उक्त पौधो की सिंचाई करता हैं एवं उसका उपयोग लेता हैं। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा विकसित विकास की भूमि के आवंटन आदेश को तहसीलदार, जैतारण द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पुनः सरकारी खाते में दर्ज किये जाने का आदेश जरिये नामान्तरकरण संख्या 368 के जरिये पारित किया। जबकि अपीलान्ट ने तहसीलदार जैतारण के आदेश दिनांक 15/03/1990 की नकल प्राप्त करने हेतु जिला कार्यालय पाली व तहसील कार्यालय जैतारण में तथा हल्का पटवारी के यहां नकल प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किये। लेकिन तहसीलदार जैतारण का आदेश दिनांक 15/03/1990 राजस्व/90/23 कोई पारित किया हुआ ही नहीं हैं। जबकि तहसीलदार को उपखण्ड अधिकारी जी द्वारा पारित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आवंटन आदेश को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भूमिधारी तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 368 पारित किया गया, जो नामान्तरकरण व नामान्तरकरण आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य हैं, जिसके द्वारा कृषि व मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। उसे राजस्व रेकर्ड की कोई जानकारी नहीं थी। वह पूर्व की भांति उपरोक्त कृषि भूमि पर अपने वन विकास के कार्यो में लगा रहा बाद में प्रशासन गांवो के संग अभियान माह फरवारी 2013 में अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी से उसके आवंटित खसरा नम्बर 216 की जमाबन्दी की मांग किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा उसे यह ज्ञान कराया गया कि उसके आवंटित भूमि सरकारी दर्ज कर दी गई। तब अपीलान्ट ने तत्काल अपीलाधीन नामान्तरकरण व भूमिधारी तहसीलदार के आदेश दिनांक 15/03/1990 की नकले हेतु आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई। जिस पर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने तथा हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को ज्ञान कराया कि भूमिधारी तहसीलदार जैतारण का दिनांक 15/03/1990 का कोई आदेश किया हुआ नहीं हैं। इस कारण यह अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही हैं। उक्त नामान्तरकरण व नामान्तरकरण आदेश से अपीलान्ट पूर्ण रूप से व्यथित हैं। क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण व नामान्तरकरण आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी पीठ के पीछे एवं अपीलान्ट को उसके प्राप्त होने वाले अधिकारों से महरूम करने की नियत से पारित किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण व नामान्तरकरण आदेश की जानकारी दिनांक 25/02/2013 को प्रशासन गांवो के संग अभियान में हल्का पटवारी से उसके आवंटित खसरा नम्बर 216 की जमाबन्दी की मांग किये जाने पर उक्त जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं होकर सिवाय चक दर्ज होने की जानकारी कराये जाने पर अपीलान्ट ने तत्काल अपीलाधीन नामान्तरकरण व अन्य राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकले प्राप्त होने पर एवं तहसीलदार जैतारण के आदेश दिनांक 15/03/1990 की कोई नकल दिनांक 18/03/2013 को तहसील कार्यालय जैतारण द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं होने की जानकारी कराये जाने पर यह अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्ति से तत्काल अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण व नामान्तरकरण आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया। अपीलान्ट उक्त नामान्तरकरण व नामान्तरकरण आदेश से पूर्ण रूप से व्यथित हैं। उक्त आवंटित भूमि पर अपीलान्ट आज भी काबिज हैं एवं उसका आज भी वन विकास हेतु उपयोग / उपभोग कर रहा हैं। इस प्रकार अपीलान्ट की आवंटित भूमि को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उसकी आवंटित भूमि को पुनः सिवाय चक दर्ज करने का अपीलाधीन नामान्तरकरण व नामान्तरकरण आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील जानकारी दिनांक से तत्काल प्रस्तुत की जा रही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट अपना जबाब पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील श्री ओमप्रकाश पंचारिया ने दरख्वास्त अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 प्रबन्धक अल्ट्रा ट्रेक सीमेन्ट लि0 कम्पनी मुम्बई को बनाया गया। वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रारम्भिक आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 368 दिनांक 15/03/1990 को तहसीलदार जैतारण ने निरस्त कर दिया हैं। जिसे अपास्त करवाने हेतु अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश की। अपीलान्ट को अपील ए.डी.एम. पालीके न्यायालय में करनी चाहिए। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण खारिज करने पर उसकी अपील उपखण्ड अधिकारी को सुनने का अधिकार हैं। उपखण्ड अधिकारी को अपील सुनने का कोई अधिकार नहीं नहीं होने से अपील पोषणीय नहीं होने से अपील को खारिज किया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण का फैसले की अपील ए.डी.एम. न्यायालय में करनी चाहिए। इस न्यायालय को उक्त अपील सुनन का अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट का आदेश दिया जाता हैं कि ए.डी.एम. कोर्ट पाली में अपील पेश करें। अपील सुनने का अधिकार नहीं होने से अपील खारिज की जाती हैं।

–:: आदेश ::–

अतः तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण का फैसले की अपील माननीय ए.डी.एम. न्यायालय में करनी चाहिए। इस न्यायालय को उक्त अपील सुनन का अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट को आदेश दिया जाता हैं कि माननीय ए.डी.एम. कोर्ट पाली में अपील पेश करें। अपील सुनने का अधिकार नहीं होने से अपील खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/10/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)